

न्यूनतम वेतन अधिनियम में आवर्त नियोजन में देय भत्ता

राजाज्ञा संख्या : 430 / VIII / 15–40(श्रम) / 2008, दिनांक : 15 जुलाई, 2015
एवं 1044(1) / VIII / 15–40(श्रम) / 2008, दिनांक : 30 जुलाई, 2015 के अनुसार कृषि के नियोजन में नियोजित अकुशल श्रेणी के श्रमिकों के लिये अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 2001=100 के आधार पर 253 अंक के ऊपर उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि होने पर माह जनवरी, 2020 से जून, 2020 के औसत मूल्य सूचकांक 329 पर ₹ 20 प्रति अंक की दर पर दिनांक : 01–10–2020 से 31–03–2021 तक की अवधि के लिए परिवर्तनीय मंहगाई भत्ता निम्नवत् होगा :—

$$(329 - 253) \times 20 = 1520.00$$

(दीप्ति सिंह)
श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।

कार्यालय श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी

संख्या : ३१०२ / 4–1 / 2012

दिनांक : १४.१.२०२०

प्रतिलिपि : निम्नलिखित को इस आशय से प्रेषित कि अधीनस्थ अधिकारियों को सूचित कर, प्रतिपालन कराएं तथा श्रमिकों एवं सेवायोजकों व उनके प्रतिनिधियों द्वारा मांगे जाने पर उन्हें उपलब्ध करा दें।

- 1— उप श्रम आयुक्त, देहरादून, 298, हिमगिरी बिहार, अजबपुर खुर्द, देहरादून।
- 2— उप श्रम आयुक्त, हल्द्वानी, श्रम भवन, नैनीताल रोड, हल्द्वानी।
- 3— उप श्रम आयुक्त, हरिद्वार, एस०जी०ओ० परिसर, निकट वाणिज्य कर कार्यालय, रोशनाबाद, हरिद्वार।
- 4— उप श्रम आयुक्त, ऊधमसिंह नगर, विकास भवन परिसर, ऊद्धपुर, ऊधमसिंह नगर।

(दीप्ति सिंह)
श्रम आयुक्त, उत्तराखण्ड,
हल्द्वानी।